विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

विज्ञापन सं० 04/VSA/2021/SS

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण निगमों (पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी को छोड़कर) हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत शिविर सहायक ग्रेड–3 के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदो पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु **निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों** से आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. रिक्तियों का विवरणः–

पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
24	शिविर सहायक ग्रेड–3	27	04	16	00	02

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- **आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।**
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन–लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न पालियों के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक–1 में अंकित Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

2. वेतनमानः– वेतन मैट्रिक्स लेवल–04 में वेतनमान रू0 27,200–86,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू, नियमानुसार देय होगें।

3. सामान्य अर्हतायें:–

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा मे विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :– (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्याँमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया होः प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका होः प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क)नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाया जायेगा। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION

		जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख)अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। (ग)अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
(iii)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नही होंगे।

<u>4. अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रियाः–</u>अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् हैः–

¤ **अनिवार्य अर्हतायेंः–**

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।

(ख) हिन्दी आशुलेखन में **न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट** की गति अनिवार्य।

(ग) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **<u>न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति</u>** अनिवार्य।

¤ **चयन प्रक्रियाः–**

(क) लिखित (CBT) **एवं टंकण तथा आशुलेखन परीक्षाः–** चयन लिखित परीक्षा (CBT) एवं दक्षता परीक्षा (टंकण एवं आशुलेखन) के आधार पर होगा होगा। लिखित परीक्षा (CBT) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्नपत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करायी जायेगी।

प्रथम भागः– (1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा (CBT) में **NIELIT के "CCC" स्तर का** कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में **कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य** होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। (3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भागः– लिखित परीक्षा (CBT) के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन	25	25
तार्किक ज्ञान	45	45
सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)	65	65
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)	65	65
	कुल अंक	**200**

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION

तृतीय भागः–

- द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा (CBT) में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- **आशुलेखन एवं हिन्दी टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत् होगें:–**

(1) आशुलेखन परीक्षाः– हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिये दिये जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) हेतु 05 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 05 मिनट की अवधि में दिये गये श्रुतलेख (Dictation) के लिये कम्प्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिये गये श्रुतलेख एवं किये गये टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण किया जायेगा।

(2) टंकण परीक्षाः– (i) हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।

(**ii**) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबन्धः– चयन हेतु आशुलेखन में **60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात आशुलेखन एवं हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रकिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेषः–(1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा (CBT) हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

- दक्षता(टंकण एव आशुलेखन) परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

5. आयुः– दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम – 21 वर्ष एवं अधिकतम – 40 वर्ष।

6- आयु में अनुमन्य छूटः– (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

7. आरक्षण :– आरक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा समय–समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों मे निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होगें। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) एवं विकलांग (**विकलांगता श्रेणी–OL,BL,PB,B**) अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोटः–नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरूद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। **अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।** अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION

8. परीक्षा स्थानः– परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, नोयडा, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

9. अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरणः–

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा(CBT)में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2021 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2021 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/विकलांगता प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2018 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जॉच के समय जमा करायी जायेगी। दक्षता परीक्षा(टंकण एवं आशुलेखन) के उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों मे से लिखित परीक्षा (CBT) के अंको की श्रेष्ठता के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 02 गुना अभ्यर्थियों के ही अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के, किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि)नहीं किया जायेगा।

(घ) टंकण परीक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जॉच हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

10. अनापत्ति प्रमाण पत्रः– यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः– आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 826/- प्रति आवेदन (जी0एस0टी0 सहित)
2.	अनारक्षित,अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1180/- प्रति आवेदन (जी0एस0टी0 सहित)
3.	उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क	Rs. 12/- प्रति आवेदन (जी0एस0टी0 सहित)

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।**

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

12. आवेदन कैसे करें:– वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब **"APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.- 04/VSA/2021/SS"** पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर **How to Apply** पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझे।

13. प्रवेश पत्रः– लिखित परीक्षा(CBT) तथा दक्षता परीक्षा (टंकण एवं आशुलेखन) हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION

गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई–मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल निर्गत होने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

14. अन्य विशेष सूचनाः–

(1)अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2)केन्द्र / राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

(3)सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ तथा एक–एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरुप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जांच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

(4)अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने / प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन / चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता हैं।

(5)आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk.ss421@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विद्युत सेवा आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

15. पारदर्शिताः– परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:–

लिखित परीक्षा(CBT) की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 03 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा(CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्टेड सूची जारी की जाएगी। अभ्यार्थियों को **www.uppcl.org** की वेबसाइट से रिस्पांस–शीट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड से डाउनलोड़ करना होगा ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

17. महत्वपूर्ण तिथियॉ :–

क0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	
2	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ	
3	एस0बी0आई0 चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि)	
4	परीक्षा की सम्भावित अवधि	

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

सं0 / विसेआ / 04/VSA/2021/SS दिनांकः 2021

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION

Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$Xn = \frac{S2}{S1} * (X - Xav) + Yav$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S1	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
X	Raw score of a candidate
Xav	Simple average of the candidate Shift
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION

विज्ञापन सामग्री

विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010

CIN : U32201UP1999SGCO24928

सूचना

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत **"शिविर सहायक ग्रेड–3"** के 49 रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 17.09.2021 को निर्गत विज्ञापन सं0 04/VSA/2021/SS के बिन्दु सं0 17 'महत्वपूर्ण तिथियॉं' को निम्नवत् विस्तारित किया जाता है:–

17–महत्वपूर्ण तिथियॉं:–

क्र0 सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियॉं	13.10.2021 से 09.11.2021 तक
2	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियॉं	13.10.2021 से 09.11.2021 तक
3	एस0बी0आई0 चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियॉं (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 09-11-2021)	13.10.2021 से 11.11.2021 तक
4	परीक्षा की सम्भावित अवधि	दिसम्बर 2021 के द्वितीय सप्ताह

उपरोक्त विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

सचिव, विद्युत सेवा आयोग

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें, बल्ब की जगह एल0ई0डी0 लगायें"

नोट:–कृपया उक्त बाक्स के अन्दर का ही मैटर छापें।

पत्रांक: /विसेआ/04-2021/SS दिनांक : अक्टूबर 12 , 2021

12/10/2021